कार्यालय नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा।

संख्याः– 571 /सा0वि0/न0नि0ग0वृ0,मथुरा/2019 दिनांक :– 30-12-2019

सार्वजनिक सूचना

नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा द्वारा नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 401,438,451,452 व 541 (20)(41) व (49) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके नगर निगम मथुरा–वृन्दावन टावर स्थापना नियंत्रण एवं विनियमन उपविधि बनायी गयी है। यदि किसी व्यक्ति/विशेष को उक्त उपविधि पर आपत्ति/सुझाव देने हों तो वह 15 दिन के अन्दर नगर निगम की वेबसाईट **nnmvonline.in** एंव कार्यालय में अवलोकन कर सकते हैं या नगर निगम मथुरा–वृन्दावन कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकते हैं तथा उक्त नियमावली से सम्बन्धित आपत्ति एंव सुझाव किसी भी कार्यदिवस में लिखित रूप से दे सकते हैं। समयावधि पश्चात् आपत्ति व सुझाव अमान्य होगें।

संयुक्त नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन
मथुरा।

प्रतिलिपिः–

1. मा0 महापौर महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. नगर आयुक्त महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. यूनीकॉम एड0 को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला दैनिक जागरण एवं दैनिक हिन्दुस्तान में उपरोक्त निविदा सूचना एक दिन न्यूनतम स्थान पर पर प्रकाशित कराते हुये प्रकाशित अंक की दो प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

संयुक्त नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन,
मथुरा

Scanned by CamScanner

" टावर स्थापना नियंत्रण एवं विनियमन उपविधि–2018"

स्थानीय निकाय उ0प्र0 8वां तल लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 8/7287 दिनांक 31 दिसम्बर 2014 जो उ0प्र0 नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों में टावर स्थापना नियन्त्रण एवं विनियमन से सम्बन्धित है। आदेशानुपालन में नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा द्वारा नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 401,438,451,452 व 541 (20)(41) व (49) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके नगर निगम मथुरा–वृन्दावन टावर स्थापना नियंत्रण एवं विनियमन उपविधि–2018 बनायी गयी है जो गजट प्रकाशन के दिनांक से लागू की जानी है।

1–सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) यह उपविधि नगर निगम मथुरा वृन्दावन (टावर स्थापना नियंत्रण एवं विनियमन) उपविधि 2018 कही जायेगी।
(2) यह नगर निगम मथुरा वृन्दावन की सीमा मे लागू होगी।
(3) यह गजट मे प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत होगी।

2–परिभाषाएं–

(1) जब तक विषय या संदर्भ मे कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि मे–
(एक) " अधिनियम " से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 से है,
(दो) " टावर" से तात्पर्य रेडियो, दूरदर्शन मोबाईल फोन या अन्य फोन या दूरसंचार सम्बन्धी अन्य माध्यमों के संकेतक या रश्मियां भेजने और संयोजन तथा संवाहकता स्थापित रखने हेतु निर्मित ऊंची संरचना से है।
(तीन) "सेवा प्रदाता" का तात्पर्य किसी कम्पनी, उसके कर्मचारी अभिकर्ता, अनापत्तिपी, संविदा कर्ता या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से है जिसके द्वारा अथवा पर्यवेक्षण मे टावर लगाया जाना प्रस्तावित हो या लगाया गया हो,
(चार) " भवन" के अर्न्तगत मकान घर के बाहर के कक्ष छादक झोपडी या अन्य घिरा हुआ स्थान या ढांचा है चाहे वह पत्थर ईट लकड़ी मिटटी धातु या अन्य किसी वस्तु से बना हो और चाहे वह मनुष्यो का रहने के लिये या अन्यथा प्रयुक्त होता हो और इसके अर्न्तगत बरामदे, चबूतरे मकानो की कुर्सियो दरवाजे की सीढियों, दीवाले तथा हाते की दीवाले और मेड़ तथा ऐसे ही अन्य निर्माण भी है।
(पॉच) "भूमि" के अर्न्तगत ऐसी भूमि है जिस पर कोई निर्माण हो अथवा निर्माण हो चुका है अथवा जो पानी से ढकी हो, भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, भूमि से संलग्न अथवा भूमि से संलग्न किसी वस्तु से स्थाई सूत्र से बांधी इुई वस्तुये, और वे अधिकार है जो किसी सडक के सम्बन्ध मे विधायन द्वारा सृजित हुये हो,
(छः) "निगम" से तात्पर्य नगर निगम मथुरा वृन्दावन से है,
(2) इस उपविधि मे प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम से परिभाषित शब्दों और पदो, के वही अर्थ होगें जो अधिनियम मे उनके लिये समनुदेशित हों।

Scanned by CamScanner

3–प्रतिषेध–

(1) नगर आयुक्त से पूर्व मे लिखित अनापत्ति प्राप्त किये बिना कोई सेवा प्रदाता कम्पनी, कर्मचारी अभिकर्ता, अनापत्तिपी या सविदाकर्ता या कोई व्यक्ति निगम की सीमा के भीतर किसी भूमि या भवन या वाहन पर कोई टावर या इसी प्रकार की अन्य संरचना जिससे किसी सामान्य प्रज्ञावले व्यक्ति को टावर होने का आभास हो न तो प्रतिष्ठापित करेगा न परिनिर्मित करेगा, न खडा करेगा, न गाडेगा।

(2) निगम की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी या अन्य अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति नगर आयुक्त की लिखित पूर्व अनापत्ति के बिना ऐसे भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई टावर न प्रतिष्ठापित करेगा, न परिनिर्मित करेगा, न खडा करेगा, न गाडेगा, और नही किसी व्यक्ति कम्पनी संस्था या उसके कर्मचारी अभिकर्ता या अनापत्तिपी को ऐसे भवन या भूमि पर कोई टावर प्रष्ठिापित करने देगा न परिनिर्मित करेगा, न खडा करेगा, न गाडेगा।

(3) कोई टावर इस रीति से स्थापित नही किया जायेगा जिससे यातायात अथवा समीपस्थ भवनों तथा उनके अध्यासियों को नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता अथवा लोक सुरक्षा मे किसी प्रकार का व्यवधान हो।

4– <u>अनापत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया–</u>

(1) अनापत्ति प्राप्त करने के लिये प्रत्येक आवेदन विनिर्दिष्ट प्रपत्र मे किया जायेगा जिसे रू0 1,000/– भुगतान करके नगर निगम के कार्यालय से या निगम बेबसाइट से डाउन लोड कर प्राप्त किया जा सकता है। नगर निगम कार्यालय से प्राप्त आवेदन–पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन–पत्र के साथ रसीद संलग्न करनी होगी, और बेबसाइट से डाउन लोड किया गया आवेदन–पत्र प्रस्तुत करते समय उसके साथ आवेदन–पत्र के मूल्य का बैक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) आवेदक द्वारा भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा जारी अपेक्षित लाईसेन्स अथवा पंजीकरण प्रमाण–पत्र संलग्न किया जायेगा।

(3) प्रत्येक आवेदन–पत्र मे ऐसी भूमि, भवन या स्थान के सम्बन्ध मे विस्तृत सूचना निहित होगी जहां ऐसी भूमि, भवन या स्थान के पास प्रस्तावित टावर प्रतिष्ठापित किया जाना, परिनिर्मित किया जाना खडा किया जाना, गाडा जाना, चिपकाया जाना या लटकाया जाना वांछित हो।

(4) आवेदन–पत्र के साथ टावर की प्रस्तावित संरचना के आकार का विवरण नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित, संरचना, अभियन्ता से सुदृढता सम्बन्धी रिपोर्ट, आवश्यक चित्र तथा संगणना प्रस्तुत की जायेगी।

(5) आवेदक द्वारा भूमि अथवा भवन का स्वामित्व प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा। यदि आवेदक ऐसी भूमि या भवन का स्वामी न हो तो आवेदन–पत्र के साथ ऐसी भूमि या भवन के स्वामी की लिखित अनुमति एवं उसके स्वामित्व प्रमाण–पत्र साथ संलग्न करनी होगी।

Scanned by CamScanner

(6) भूमि या भवन के प्रत्येक स्वामी को यह लिखित समझौता करना होगा कि किसी व्यतिक्रम की स्थिति मे यह टावर हेतु देय प्रत्येक प्रकार के शुल्क का भुगतान करने के लिये दायी होगा।

(7) टावर से सम्बन्धि विवरण जैसे ऊँचाई, भार, भूतल पर स्थापित या छत पर एन्टिना की संख्या तथा अन्य अपेक्षित सूचनायें और विशिष्टयां अंकित की जायेगी।

(8) आटोमोटिव रिसर्च एसोसियेशन ऑफ इण्डिया (ARAI) द्वारा डीजी जनरेटर सेट के निर्माता को जारी टाइप टेस्ट सर्टीफिकेट (type teast certificate) की प्रति आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किया जाना अपेक्षित होगा।

(9) ऊँचे भवनो की दशा मे विभाग की अनापत्ति के क्लियरेन्स प्राप्त किया जायेगा।

(10) संरक्षित वन क्षेत्र मे विभाग की अनापत्ति वांछित होगी।

(11) सेवा प्रदाता कम्पनी अथवा उसके प्रतिनिधि से किये गये अनुबन्ध मे दी गयी शर्तो अथवा किसी ऐसे प्राविधान जो शासन/प्रशासन अथवा नगर निगम स्तर से किसी नीति अथवा मानक मे कोई परिवर्तन होता है, तो वह अनापत्तिपी सेवा प्रदाता कम्पनी को मान्य होगा।

5– अनापत्ति प्रदान किये जाने की शर्त–

(1) किसी टावर को प्रतिष्ठपित करने, परिनिर्मित करने, खडा करने या गाडने की अनापत्ति निम्नलिखित निबन्धनो एवं शर्तो के अधीन प्रदान की जायेगी–

(क) अनापत्ति केवल उसी अवधि तक के लिए प्रभावी होगी जिस अवधि के लिये प्रदान की गयी हो, बशर्ते शुल्क इस उपविधि के अधीन संदत्त और जमा किया गया हो।

(ख) टावर को समुचित स्थितियों और दशाओं मे रखा और अनुरक्षित किया जायेगा।

(ग) प्रदान की गई अनापत्ति अन्तरणीय नही होगी।

(घ) सेवा प्रदाता कम्पनी या व्यक्ति ऐसी अवधि जिसके लिये अनापत्ति दी गई थी, की समाप्ति के एक सप्ताह के पूर्व अनापत्ति नवीनीकरण हेतु निर्धारित शुल्क जमा करेगा। शुल्क न जमा करने की स्थिति मे एक सप्ताह मे टावर हटा दिया जायेगा।

(ड) टावर अनापत्तित स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किये जायेगे परिनिर्मित किये जायेगें। टावर किसी हैरिटेज/संरक्षित स्मारकों/भवनों पर स्थापित नही किये जायेगें।

(च) टावर से समीपस्थ भवनों के आवागमन, प्रकाश और वातायन मे किसी भी रूप मे व्यवधान नही डाला जायेगा और न ही लोक बाधा अथवा यातायात मे बाधा उत्पन्न की जायेगी।

(छ) लोकहित मे नगर आयुक्त या उसके इस निमित प्राधिकृत किसी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अनापत्ति अवधि समाप्त होने से पूर्व भी अनापत्ति–पत्र को निलम्बित कर दे।

(ज) ढांचो, अवलम्बों और पट्टियों सहित टावर की अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किये जायेगा। समस्त धात्विक पूर्जो के वैद्युत भू आच्छादन की व्यवस्था की जायेगी और सभी ायरिंग सुरक्षित और रोधित रखी जायेगी।

Scanned by CamScanner

(झ) भूमि अथवा छत पर लगाने वाले बेस द्वारा रिसीविंग सिस्टम (बी0टी0एस0) के सम्बन्ध मे भवन के ढांचे की डिजायन तथा टावर के स्थायित्व और सुदृढता के प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में स्थानीय निकाय या राज्य सरकार का सी0बी0आर0आई0 रूडकी या आई0आई0टी0 एन आई0आई0टी0 या किसी अन्य संस्था के अधिकृत संरचना, अभियन्ता द्वारा की गयी लिखित आख्या अपेक्षित होगा।

(ञ) किसी भवन के छत पर कोई टावर इस प्रकार प्रतिष्ठापित नही किया जायेगा जिससे छत के एक भाग से दूसरे भाग मे मुक्त प्रवेश मे व्यवधान हो।

(ट) कोई टावर किसी छत पर तब तक प्रतिष्ठापित नही किया जायेगा जब तक सम्पूर्ण छत अज्वलनशील सामग्री का न हो।

(ठ) कोई टावर विद्यमान भवन एलाइनमेन्ट से बाहर किसी भी दशा मे नही बढेगा।

(ड) प्रत्येक टावर को पूर्णतया सुरक्षित रखा जायेगा। ऐसे भवन या संरचना जिस पर प्रतिष्ठापित या परिनिर्मित हो, का सम्पूर्ण भार भवन के संरचनात्मक मार्गो मे सुरक्षित रूप से सवितरित होगे।

(ढ) विमान पतनों के समीप टावर स्थापना हेतु विमान पत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(ण) टावर के स्थापना हेतु प्रथम वरीयता वन क्षेत्र एवं द्वितीय वरीयता आबादी से दूर खुले या सार्वजनिक क्षेत्र को दिया जायेगा। टावर आवासीय क्षेत्रों मे लगाने से बचा जाय किन्तु जहां यह सम्भव न हो वहां यथासम्भव खुली भूमि पर उसे स्थापित किया जाय।

(त) टावर पर लगा एन्टिना समीपस्थ भवन से न्यूनतम 03 मी0 दूर और उसका निम्न धरातल अथवा छत से न्यूनतम 03 मी0 की ऊँचाई पर होगा।

(थ) टावर की स्थापना किसी शैक्षिक संस्थान अस्पताल परिसर अथवा सकरी गलियॉ (जिनकी चौ0 5 मी0 से कम हो) मे नही की जायेगी। टावर किसी अस्पताल अथवा शैक्षिक संस्था के 100 मी0 त्रिज्या मे स्थापित नही किये जायेगे।

(द) टावरों की स्थापना हेतु (भूमिगत या छत पर) एन्टीना के ठीक सामने कोई बिल्डिंग इत्यादि होने की स्थिति मे टावर/बिल्डिंग की न्यूनतम दूरी निम्नवत होगी–

क्रमांक	गुणज एन्टीना की संख्या	एन्टीना से बिल्डिंग/संरचना की दूरी (सुरक्षित दूरी) (मी0 मे)
1	2	35
2	4	45
3	6	55
4	8	65
5	10	70
6	12	75

Scanned by CamScanner

(ध) क्षेत्र विशेष मे कई कम्पनियों द्वारा ट्रांसमिशन स्थल वांछित होने पर उन्हे यथा सम्भव एक ही टावर पर स्थापित कराना होगा।

(न) टावर अथवा उस पर स्थापित एंटिना तक सामान्य जन के पहुंच को समुचित तरीके जैसे कटीले तार, छत पर जाने के दरवाजे अथवा बाउण्ड्री वाल बनाकर गेट पर ताला आदि लगा कर प्रतिबन्धित किया जायेगा। अनुरक्षण कर्मियों को भी यथासम्भव कम से कम अवधि के लिये टावर तक पहुंचने की अनुमति दी जायेगी।

(प) टायर स्थल पर साइन बोर्ड उपलब्ध कराया जायेगा जो स्पष्ट दृश्टव्य होगा और चेतावनी चिन्ह स्थल के प्रवेश द्वार पर लगाना होगा, जिसमे स्पष्ट रूप मे अकित किया जाये–

1– विकिरण का खतरा, कृपया अन्दर प्रवेश न करें।

2– प्रतिबन्धित क्षेत्र।

(फ) सेवा/अवस्थापना प्रदाता कम्पनियों द्वारा भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (डॉट) के टर्म सेल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार रेडिएशन के सभी नियमो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ब) प्रत्येक सेवा/अवस्थापन प्रदाता कम्पनी, उसके अभिकर्ता, अनापत्तिपी, कर्मचारी या स्वामी द्वारा टावर स्थापना के समय स्थल के चारो ओर बेरीकटिंग, टिन आदि लगाकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(भ) ऐसे स्थलों जहॉ यातायात हेतु दृष्यता मे बाधा और व्यवधान उत्पन्न हो वहां टावर लगाने की अनापत्ति नही दी जायेगी।

(म) जहां इससे स्थानीय नगरीय सुविधाये प्रभावित हो वहां अनुमति देय नही होगी।

(य) आवेदक द्वारा विभिन्न सम्बन्धित विभागों और प्राधिकारियों से आवश्यकतानुसार अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(र) टावर की स्थापना मरम्मत या सम्बन्धित अन्य कार्यों के सम्पादन के समय या पश्चात जन सुविधा का पूर्ण दायित्व आवेदक अथवा सेवा प्रदाता का होगा। किसी प्रकार की दुर्घटना या क्षति और उसके परिणामों के लिये आवेदक या सेवा प्रदाता उत्तरदायी होगा।

(ल) टावर पर किसी प्रकारका विज्ञापन सम्प्रदर्शित नही किया जा सकेगा।

(ब) भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध मे समय–समय पर निर्धारित अन्य नियम और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

6– क्षतिपूर्ति बन्ध–पत्र

(क) प्रत्येक सेवा प्रदाता कम्पनी उसके अभिकर्ता, अनापत्तिपी, कर्मचारी या स्वामी द्वारा टावर या टावर की स्थापना से हुई दुर्घटना या किसी हानि के लिये क्षतिपूर्ति बन्ध–पत्र प्रस्तुतत किया जायेगा।

(ख) प्रत्येक स्थापित टावर की वजह से किसी प्रकार की जन हानि होती है। तो प्रत्येक सेवा प्रदाता कम्पनी, अनापत्ति, कर्मचारी या समस्त प्रकार की क्षतिपूर्ति हेतु पूर्णतया जिम्मेदार होगा।

Scanned by CamScanner

7– **सम्पत्ति कर का आरोपण–**

टावर के पास निर्मित जनरेटर कक्ष, उपकरण कक्ष, चौकीदार कक्ष या अन्य कक्षों पर अधिनियम के सुंसगत प्राविधानो के अधीन सम्पत्ति कर का आरोपण किया जायेगा साथ ही अनावासीय भवनों हेतु शासन द्वारा बनायी गयी गृहकर/जलकर नियमावली के अनुसार निर्धारित किये गये गृहकर/जलकर की धनराशि अनापत्ति शुल्क के अतिरिक्त वसूली जायेगी, जिसका सम्बन्ध अनापत्ति शुल्क से नही होगा।

8– **अनापत्ति की अवधि और नवीनीकरण–**

नगर निगम मथुरा वृन्दावन के सम्पत्ति विभाग द्वारा टावर स्थापना की अनापत्ति एवं नवीनीकरण आदि की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। किसी टावर की अनापत्ति अधिकतम 02 वर्ष के लिये दी जायेगी, 02 वर्ष पश्चात पुनः टावर स्थापना की नवीनीकरण कराना होगा। अनापत्ति शुल्क 02 वर्ष के लिये अग्रिम रूप से जमा किया जा सकता है।

9– **टावर को हटाने की शक्ति तथा स्थान परिवर्तन–**

(क) यदि कोई टावर उपविधि के उल्लंघन मे प्रतिष्ठापित किया जाता है, परिनिर्मित किया जाता है, खडा किया जाता है, या गाडा जाता है, या लोक सुरक्षा के लिये परिसंकटमय या खतरनाक हो या सुरक्षित यातायात संचालन हेतु बाधा और अशान्ति का कारण हो, तो नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत अधिकारी किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकता है और जमा प्रतिभूति से अधिक धनराशि व्यय होती है, तो नियमानुसार उसका आंकलन कर नोटिस के माध्यम से वसूली की कार्यवाही सम्बन्धित सेवा प्रदाता कम्पनी अथवा प्रतिनिधि से की जायेगी।

(ख) किन्ही कारणो से यदि टावर के स्थान मे परिवर्तन किया जाता है, तो उस पर आने वाले समस्त क्षतिपूर्ति/व्यय का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अनापत्तिपी/सेवा प्रदाता कम्पनी का होगा

10–**टावर पर निर्बन्धन–**

किसी संविदा या अनुबन्ध मे अन्तर्विष्ट किसीबात के प्रतिकूल होते हुये भी किसी टावरको प्रतिष्ठापित करने, परिनिर्मित करने खडा करने, या गाड़ने की अनापत्ति निम्नलिखित स्थिति मे नही दी जायेगी–

(क) टावर संस्थापक कम्पनी को टावर के शीर्ष पर लाल बल्ब लगाना अनिवार्य होगा।

(ख) ऐसी रीति से और ऐसे स्थानो पर जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न होती हो।

(ग) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग, यान मार्ग के छोर से 20 मी0 के भीतर।

(घ) अन्य मार्गो के यानमार्ग के छोर से 10 मी0 के भीतर।

(ड) ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों, सार्वजनिक भवनो, चिकित्सालयों, शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालयों और पूजा स्थलों के ऊपर।

(च) जब इससे स्थानीय, नागरिक सुविधायें प्रभावित और बाधित हो।

(छ) किसी परिसर के बाहर क्षेपित हो।

(ज) दो टावरों के बीच की दूरी कम से कम 100 मी0 से कम न हो।

(झ) विद्यालय/चिकित्सालय /सार्वजनिक कार्यालय आदि के आस–पास अनापत्ति

Scanned by CamScanner

नहीं दी जायेगी।

(ञ) विवाद की स्थिति में सुनवाई/निर्णय लेने के अधिकार मा0 कार्यकारिणी समिति को होगा"

(ट) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा घोषित निषिद्ध क्षेत्र के भीतर हो।

(ठ) उपरोक्त अनापत्ति शुल्क एवं प्रतिभूत धनराशि जमा कराते हुये नगर निगम मथुरा–वृन्दावन द्वारा एन0ओ0सी0 जारी की जायेगी। तदोपरान्त मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण मथुरा द्वारा नगरीय क्षेत्र में टावर लगाये जाने हेतु अनुमति/अनापत्ति प्रदान की जायेगी।

11–**निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा–**

नगर निगम राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी स्थान या स्थानों, क्षेत्र या क्षेत्रों को टावर प्रतिष्ठापित करने परिनिर्मित करने, खडा करने, या गाडने के लिये निषिद्ध घोषित कर सकती है।

12– **अनुरक्षण–**

(1) सभी टावर जिनके लिये अनापत्ति अपेक्षित है, अवलम्बों बधनी, रस्सा औरस्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेगे, जोकि ढांचागत और कलात्मक दोनो ही दृष्टिकोण से होगी और यदि चमकीले अज्वलनशील सामग्री से निर्मित नही है तो उन पर मोर्चा आदि से रोकने हेतु रंग रोगन किया जायेगा।

(2) प्रत्येक सेवा प्रदाता कम्पनी, उसके कर्मचारी, अभिकर्ता, अनापत्तिपी या व्यक्ति का यहकर्तव्य और दायित्व होगा कि वह टावर से आच्छादित परिसर मे सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखें।

13– **प्रवेष और निरीक्षण की शक्ति–**

नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण, खोजमाप या जॉच करने के प्रयोजन के लिये या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिये जो इस उपविधि के अधीन हो, किसी उपबन्ध के अनुसरण के सहायकों या श्रमिकों के साथ या उसके बिना किसी परिसर या उसमें प्रवेश कर सकता है।

14– **शुल्क का निर्धारण तथा भुगतान की रीति–**

(1) नगर निगम मथुरा वृन्दावन सीमा क्षेत्र मे स्थापित टावरों हेतु **वार्षिक शुल्क रू0 50,000.00 प्रति टावर और प्रतिभूति (धरोहर धनराशि) धनराशि रू0 30,000.00 प्रति टावर होगी,** वार्षिक शुल्क आगामी वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के पूर्व देय होगी तथा प्रतिभूति धनराशि टावर स्थापित किये जाने की अनुमति लिये जाने के पूर्व नगर निगम मथुरा वृन्दावन के पक्ष मे देय होगी। उक्त देय धनराशि का भवन/भूमि पर आरोपित गृहकर/जलकर से कोई सम्बन्ध नही होगा।

Scanned by CamScanner

(2) वार्षिक शुल्क एकल किस्त मे संदेय होगा। जब तक पूर्ण धनराशि का भुगतान न किया जाय तब तक किसी टावर को प्रतिष्ठापित करने, परिनिर्मित करने, खडा करने गाडने की अनुमति नही दी जायेगी।

(3) किसी कटौती के न होने पर प्रतिभूति की पूरी धनराशि और कटौती अथवा, समायोजन होन पर अवशेष धनराशि अनापत्ति समाप्त होने की तिथि से एक सप्ताह मे बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

15– शास्ति और अपराधों की प्रशमन–

(1) इस उपविधि के उपबन्धों का किसी प्रकार से उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो रू0 पांच हजार तक हो सकता है और उल्लंघन करते रहने की दशा मे प्रथम उल्लंघन तिथि की सिद्धि के पश्चात प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहा, ऐसे जुर्माने, जो पांच सौ रूपये तक हो सकता है, से दण्डनीय होगा।

(2) इस उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को अपराधी के लिये निर्धारित के आधे से अन्यून और तीन चौथाई से अनाधिक धनराशि वसूल करने पर नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन,
मथुरा

Scanned by CamScanner